कमला देवी बनाम कालूराम

45/2013

दिनांक	आज्ञा पत्र	
16.07.24	पत्रावली पेश। उभयपक्ष की बहस पर श्रवण किया। प्रा.पत्र मय आपत्ति व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रारंभिक आपत्ति का निर्णय अंतिम निर्णय के साथ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रारंभिक प्रा.पत्र आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम दिनांक 5/8/24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
5/8/24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 16/8/24 को पेश हो।	
16.8.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर याद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 45/2019

1 कमला देवी पुत्री श्री रघुनाथ पत्नी मालीराम आयु 52 साल
2 संतोष देवी पुत्री रूघनाथ पत्नी सुन्दरलाल आयु 47 साल
जाति जाट निवासीगण नांगल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर हाल निवासी पदमपुरा खण्डेला जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 कालूराम पुत्र स्व. श्री बल्ला
जाति जाट निवासी नांगल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 दड़की देवी पत्नी श्री रूघनाथ
जाति जाट निवासी नांगल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर। फौत (नाम हजफ)
3 मालीराम पुत्र स्व. श्री गंगाबक्स (फौत)
3/1 रणजीत सिंह पुत्र मालीराम
3/2 हंसराज पुत्र मालीराम फौत
3/2/1 संतोष पत्नी हंसराज
3/2/2 अनिल पुत्र हंसराज
3/2/3 शेरसिंह पुत्र हंसराज
समस्त जाति जाट निवासी नांगल मु.पो. अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
3/3 लक्ष्मण पुत्र मालीराम
3/4 रामस्वरूप पुत्र मालीराम
3/5 शिवकरण पुत्र मालीराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाति जाट निवासी नांगल मु.पो. अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
3/6 सज्जना देवी पुत्री मालीराम पत्नी धर्मपाल सिंह झाझड़िया
3/7 सन्तरा देवी पुत्र मालीराम पत्नी मानसिंह झाझड़िया
जाति जाट मु. भगतपुरा पो. पृथ्वीपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3/8 सुन्दरी देवी पुत्री मालीराम पत्नी मोहरीलाल खोखर
3/9 मोहरी देवी पुत्री मालीराम पत्नी नवरंग लाल खोखर
जाति जाट मु. पो भादवाड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर
3/10 सन्तोष देवी पत्नी सुरेन्द्र झाझड़िया पुत्री मालीराम
जति जाट मु.पो. अभयपुरा वाया पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 रामेश्वर पुत्र स्व. श्री गंगाबक्स
5 मूली पत्नी स्व. श्री फुलचन्द
6 सुशीला पुत्री स्व. श्री फुलचन्द
7 देवीलाल पुत्र स्व. श्री फुलचन्द
8 नेकीराम पुत्र स्व. श्री फुलचन्द
9 हरलाल सिंह पुत्र स्व. श्री हनुमान
10 झूथा पुत्र स्व. श्री हनुमान
11 महेश पुत्र स्व. श्री गणपत
12 दिनेश पुत्र स्व. श्री गणपत
13 रमेश पुत्र स्व. श्री गणपत
14 औमप्रकाश पुत्र स्व. श्री गणपत
15 लोकेश उर्फ लुकेश पुत्र स्व. श्री गणपत
16 प्रमोद पुत्र स्व. श्री गणपत
17 भगवानी पत्नी स्व. गणपत फौत (नाम हजफ)
18 झूमा देवी पत्नी स्व. श्री नवलकिशोर
19 रामदेव पुत्र स्व. श्री कानाराम
20 झाड़ाराम पुत्र स्व. श्री कानाराम जाट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाति जाट निवासी नांगल मु.पो. अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

21 महादूराम पुत्र स्व. श्री जेता फौत

21/1 श्रवण कुमार पुत्र महादूराम

21/2 सुल्तान सिंह पुत्र महादूराम

21/3 रामेश्वरी देवी पुत्री महादूराम पत्नी धूड़ाराम बुरड़क

21/4 सुशीला पुत्री महादूराम पत्नी बाबुलाल बुरड़क

जाति जाट निवासी ढाणी चिणकार मु.पो. पलसाना तह दांतारामगढ़ जिला सीकर।

21/5 छोटी देवी पुत्री महादूराम पत्नी तेजपाल जाट

निवासी धीरजपूरा पो चौमू पुरोहितान वाया खाटूश्यामजी तह खण्डेला जिला सीकर राज.।

21/6 मनोज देवी पत्नी छोटूराम पुत्री महादूराम

जाति जाट निवासी धीरजपूरा पो चौमू पुरोहितान वाया खाटूश्यामजी तह खण्डेला जिला सीकर राज.।

21/7 सन्तोष देवी पुत्री महादूराम पत्नी सिद्धराम शेषमा जाति जाट निवासी मण्ढा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

22 छोटी देवी पत्नी स्व. श्री भगवाना

23 सीताराम पुत्र स्व. श्री भगवाना

24 प्रभाती पुत्री स्व. श्री भगवाना

25 दड़की पुत्री स्व. श्री भगवाना

26 गीता पुत्री स्व. श्री भगवाना

27 छाजू पुत्र स्व. श्री वल्ला

28 कालू पुत्र स्व. श्री वल्ला

29 अणची पत्नी स्व श्री वल्ला फौत (नाम हजफ)

जाति जाट निवासीगण नांगल अभयपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

30 पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना दांतारामगढ़ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

31 उप पंजीयन अधिकारी, उपपंजीयन कार्यालय पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

32 पटवारी पटवार हल्का नांगल तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

33 नायब तहसीलदार, पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

34 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय/आदेश दिनांकित 27.05.2019 न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम महोदय सीकर बउनवानी कमला देवी आदि बनाम कालूराम आदि दावा संख्या 30/2017

उपस्थिति :

1. श्री उत्तम कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 16.8.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम-सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 30/2017 में पारित निर्णय दिनांक 27.05.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने ग्राम नांगल पटवार हल्का अभयपुरा की भूमि खसरा नम्बर 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527 के संदर्भ में घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड संसोधन का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने दौराने सुनवाई बार बार हिदायत के उपरांत भी वादी द्वारा प्रतिवादीगण के सम्मन तलवाना पेश नहीं करने पर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी आदेश 09 नियम 05 के अन्तर्गत खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर वादी अपीलांट ने धारा 5 के आवेदन के साथ यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलान्ट ने विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 02/रूघनाथ का स्वर्गवास दिनांक 28.06.2017 को हो जाने पर दिनांक 22.09.2017 को उसके विधिक उत्तराधिकारियों को पक्षकार बनाने के लिए कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2017 को पेश किया था। विचारण न्यायालय को आदेशिका दिनांक 10. 04.2017 एवं दिनांक 27.05.2019 पारित करने से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 22.09.2017 पर आदेश पारित करना चाहिये था परन्तु ऐसा ना कर निर्णय दिनांक 27.05.2019 पारित किया। विधि के अनुसार आदेश 09 नियम 05 में दावा उन्ही प्रतिवादीगण के विरूद्ध खारिज किया जा सकता है, जिसकी तामील नहीं हुई है, जिन प्रतिवादीगण की तामील हो चुकी है, उनके विरूद्ध दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। प्रकिया विधि के आज्ञापक प्रावधान के विपरित होने के कारण विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 27.05.2019 निरस्तनीय है। वादियागण/अपीलान्टस महिलाऐ है, वादियागण/अपीलान्टस के पास फोन की सुविधा नहीं होने के कारण अधिवक्ता वादियागण द्वारा वादियागण/अपीलान्टस से सम्पर्क नहीं होने के कारण मामले की कार्यवाही बावत सूचित नही कर सका। दिनांक 30.05.2019 को वादिया/अपीलान्ट संख्या 01 किसी काम से सीकर आयी और आपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तो उक्त न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई। उक्त तामील पेश नहीं करना जानबूझकर नहीं गजबूरीवश ही हुआ। उक्त सम्पदा पैतृक होने से उक्त सम्पदा में वादियागण/अपीलान्ट के साम्पत्तिक अधिकार निहित है। विचारण न्यायालय का उक्त निर्णय दिनांक 27.05.2019 को निरस्त नहीं किया जाता है, तो वादियागण/अपीलान्ट के उक्त अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ेगा। जिसकी पूर्ति किया जाना वाद में सम्भव नहीं होगा। अपील चुनौतीग्रस्त आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने की दिनांक 25.06.2019 से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील के साथ आवेदन धारा 05 मियाद अधिनियम विलम्ब क्षमा के लिये अलग से प्रस्तुत है। न्यायहित में अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में 2006(2) कलकता एचसी पेज 230 एवं 1999(1) उड़ीसा एचसी पेज 456 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वाद वादी अपीलांट का था। विचारण न्यायालय में दिनांक 29.06.2018 से अपीलांट को लगातार 7 पेशी तक सम्मन तलवाना पेश करने की हिदायत दी जाती रही है। दिनांक 10.04.2019 को आदेशिका में सम्मन तलवाना पेश नहीं करने पर आदेश 09 नियम 05 के तहत कार्यवाही का अंकन भी है। इसके उपरांत भी सम्मन तलवाना प्रस्तुत नहीं करने पर विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया गया है। स्पष्ट है कि वादी अपीलांट वाद के प्रति गंभीर नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की वहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है विचारण न्यायालय में वाद वादी अपीलांट का था। विचारण न्यायालय में दिनांक 29.06.2018 से अपीलांट को लगातार 7 पेशी तक सम्मन तलवाना पेश करने की हिदायत दी जाती रही है। दिनांक 10.04.2019 को आदेशिका में सम्मन तलवाना पेश नहीं करने पर आदेश 09 नियम 05 के तहत कार्यवाही का अंकन भी है। इसके उपरांत भी सम्मन तलवाना प्रस्तुत नहीं करने पर विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज किया गया है। इस संदर्भ में सीपीसी के आदेश 43 का अवलोकन किया गया। सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार आदेश 09 नियम 05 के तहत पारित आदेश की अपील पोषणीय नहीं है। आदेश 09 नियम 05 में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय मण्डल में रिविजन प्रस्तुत की जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत अपील इस न्यायालय पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
अ. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर